उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (5) में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

''6 (5) जब कभी एक या अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्समय कमी और/राजस्व के संवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी। ''

वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में रू0 682.43 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा रू0 4075.83 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

माह जून, 2014 के प्रथम अनुपूरक का आकार रू0 3818.93 करोड़ है जिसमें रू0 2200.16 करोड़ के व्यय का अनुमान राजस्व पक्ष में तथा रू0 1618.77 करोड के अनुमान पूँजीगत पक्ष में है। इस प्रकार कुल रू0 3818.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति निम्नवत होना सम्भावित हैः–

केन्द्रीय करो में राज्य का हिस्सा की मद में आय–व्ययक में रू0 4134.00 करोड़ अनुमान के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 2014–15 के लिए इंगित विवरण अनुसार उत्तराखण्ड को रू0 4354.66 करोड़ की प्राप्ति सम्भावित है जो कि बजट अनुमान वर्ष 2014–15 से रू0 220.66 करोड़ अधिक है। प्रस्तावित अनुपूरक मांगो में अधिकांश धनराशि उन योजनाओ में प्राविधानित की गयी है जो कि केन्द्र पोषित है तथा पूर्व मे इन योजनाओ में धनराशि सीधे कार्यदायी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाती थी परन्तु वित्तीय वर्ष 2014–15 से यह धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को सीधे उपलब्ध न कराकर राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित अनुपूरक मांग में केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग रू0 2000 करोड़ की धनराशि की प्राप्ति होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक मांग के कारण बढ़े हुए व्यय को वर्ष में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियों, आयोजनागत व आयोजनेत्तर व्यय में सम्भावित बचतों तथा स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि/अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कर पूरा किया जायेगा।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
वित्त मंत्री